वित्तीय समीक्षा

आवर्त्तक प्राप्ति एवं व्यय
(Recurring Receipts & Payments)

(क) वास्तविक आय–व्ययक (Actual of Receipts & Payments) 2020-2021

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल रु. 257.51 करोड़ वास्तविक व्यय के विरूद्ध उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा कुल रु. 225.54 करोड़ अनुदान् के रूप में उपलब्ध कराया गया था। इस अनुदान पर खर्च आगे के वित्तीय वर्ष में हुआ है और उपयोगिता प्रमाण–पत्र तदनुसार सरकार को भेजा गया है।

(ख) आय–व्ययक प्राक्कलन (Budget Estimates) 2021-22 :

विश्वविद्यालय ने बिहार सरकार को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अभिषद् द्वारा पारित 583.98 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट में से समस्त आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त 38.84 करोड़ रुपये घटाने के पश्चात् 545.14 करोड़ रुपये के घाटे का बजट प्रस्तुत किया था।

उपर्युक्त के विरूद्ध वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित बजट में कुल रु 546.53 करोड़ के प्रस्तावित व्यय से विश्वविद्यालय के समस्त आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त रु 35.03 करोड़ की आय घटाने के पश्चात् रु 511.50 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है ।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 के उपर्युक्त पुनरीक्षित प्रस्तावित बजट पर मार्च 2021 से दिसंबर 2021 तक वेतनादि / पेंशनादि मदों (बकाया सहित) में कुल रु 186.42 करोड़ का अनुदान विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है।

उपर्युक्त अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक के वेतनादि / पेंशनादि एवं सेवान्त लाभ के मदों में सरकार से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को भेजा जा चुका है तथा वर्ष 2021–22 हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा भेजने का कार्य प्रक्रियाधीन है ।

(ग) पूर्ववर्ती बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग,पटना (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार):

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा तत्कालीन बी.सी.ई. के सेवा निवृत कर्मियों के वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मांगी गई कुल राशि रु 4.41 करोड़ विमुक्ति कर दी गयी है। तदनुसार इस राशि के उपयोग के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

(घ) सृजित पद एवं कार्यरत बल (Sanctioned Posts and Employees in position):

शिक्षकों के स्वीकृत एवं सत्यापित कुल 869 पदों के विरूद्ध वर्ष 2021 में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या

बहुत कम हो गई है। यह वित्तीय वर्ष 2022–23 में मात्र 270 हो चुकी है एवं 114 अतिथि शिक्षकों की भी सहायता ली जा रही है। रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण पठन–पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल स्वीकृत 1506 पदों के विरूद्ध मात्र 576 ही वर्ष 2022–23 में शिक्षकेत्तर कर्मी कार्यरत रहेगें।

इसी प्रकार शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति Outsourcing द्वारा करने के लिए प्रस्तुत बजट में 7.00 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है। यह राशि मुख्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं कॉलेजों के लिए होगी ।

उल्लेखनीय है कि संविदा पर Outsourcing के आधार पर शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में शिक्षा विभाग द्वारा 3.69 करोड़ रूपये की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई थी जो व्यय हो चुका है तथा 2021–22 हेतु संबधित अनुदान राशि प्राप्त नही होने के कारण इस मद में विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोतों से भुगतान किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों की कमी को ध्यान में रखते हुए अनुभवी सेवानिवृत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को 6 माह हेतु 2 बार पुनर्नियुक्ति का प्रावाधान करते हुए प्रस्तुत बजट में 36.00 लाख रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

(ड़) परिनियत अनुदान (Statutory Grant) :

उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 15/एम 1 18/ 2018–2904 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के बकाये विद्युत विपत्रों एवं बकाये संपत्ति कर का भुगतान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से करने का निदेश दिया गया है। इस संबध अवगत कराना है कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 47 (i) में स्पष्ट प्रावाधन है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष परिनियत अनुदान बिहार सरकार के समेकित निधि से देगी। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक पाँच वर्ष पर उक्त राशि का समयानुकूल संशोधन कुलपति से विचार विमर्श के उपरांत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विकास के लिए भी समय–समय पर अतिरिक्ति राशि बिहार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में विमुक्त किया जाना है ।

इस पृष्ठ भूमि में ज्ञातव्य है कि वार्षिक परिनियत अनुदान 1.61 करोड़ 2005–06 से अभी तक अदेय है। वांछित बढ़ोत्तरी तो नही ही की गई है, अगर केवल परिनियत अनुदान पर विचार करें तो1.61 करोड़ की दर से पिछले सोलह वर्षों में 2022–23 के बजट में कुल 27.37 करोड़ रुपये राशि होती है जिसका प्रावधान किया गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त राशि नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण विश्वविद्यालय को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है इसी अनुदान से प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, बकाये विद्युत विपत्रों एवं बकाये संपत्ति कर का भुगतान आदि के आवर्त्तक व्यय होने थे।

वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में क्रमशः 1.95 करोड़ एवं 3.00 करोड़ विद्युत मद हेतु प्रत्येक वर्ष तथा नगर निगम के कर इत्यादि हेतु क्रमशः 2.76 करोड़ एवं 4.00 करोड़ राशि का भुगतान किया जाना अनुमानित है। जिसकी भरपाई उपरोक्त वर्णित राशि राज्य सरकार से प्राप्त नही होने से विश्वविद्यालय के

आंतरिक स्रोत से किए जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

(च) प्रस्तावित आय–व्ययक (Proposed Estimates of Receipt & Payment) 2022-23:

यहाँ यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्राक्कलन में उच्च शिक्षा पर रु 536.17 करोड़, दूर–शिक्षा पर रु 4.01 करोड़, स्ववित्तपोषित / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर रु 12.52 करोड़ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अधीन तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग पर रु 8.84 करोड़ अर्थात कुल रु 561.54 करोड़ के व्यय राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के उपरोक्त प्रस्तावित व्यय के विरुद्ध विश्वविद्यालय के सभी आन्तरिक स्रोतों से अनुमानित आय रूपये 35.77 करोड़ घटाने के पश्चात् कुल रूपये 525.77 करोड़ मात्र घाटे का बजट (Deficit Budget) सदन के पटल पर माननीय अनुषद् सदस्यों की अनुशंसा के लिये प्रस्तुत है ।

तदोपरान्त, उपर्युक्त प्रस्तावित कुल घाटे की रकम में से उच्च शिक्षा पर रूपये 521.18 करोड़ के घाटे का बजट राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के समक्ष तथा 45.88 करोड़ के घाटे का बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से समक्ष मदवार अनुमोदन एवं अनुदान विमुक्ति हेतु भेजा जा सकेगा।

प्रस्तावित 2022–23 के बजट की कतिपय मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैंः–

(1) वर्ष 2022–23 के प्रस्तावित बजट में बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, के पत्रांक 15/बी–1–11/2013–2314 दिनांक 22.10.2021 एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 641 दिनांक 07. 09.2021 में दिये गये निर्देशों को अनुपालन किया गया है। ऐसा निर्देश था कि वर्ष 2021–22 के आधार पर वर्ष 2022–23 के वेतनादि, पेंशनादि पर जो कुल राशि आती है उस पर 2022–23 में 40% महँगाई भत्ता की गणना की जानी है ।

इसी निर्देश के अनुसार मूल वेतन एवं उस पर महँगाई भत्ता तथा मूल पेंशन और उस पर महँगाई राहत की गणना कर बजट में प्रावधान किया गया है। जुलाई 2021/जनवरी 2022 के वेतन में सप्तम वेतनमान के पुनरीक्षण में दिए गए पे–मैट्रिक्स के अनुसार वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ोत्तरी की गई है।

(2) वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये प्रस्तावित बजट के भीतर Schedule – D के अन्तर्गत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वर्ष क्रमशः 1986, 1996, 2006 तथा 2016 से प्रभावी चतुर्थ, पंचम् षष्ठम् एवं सप्तम वेतन पुनरीक्षण में वेतनान्तर राशि, विज्ञापन बकाया विद्युत विपत्र, नगर निगम कर, पदोन्नति एवं अनुकंपा पर नियुक्त कर्मियों एवं अन्य शिक्षकों के बकाया वेतन मद आदि के लिए 62.12 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

(3) इसी प्रकार Schedule–A के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में वेतनादि, (दूर शिक्षा सहित) पेंशनादि, उपार्जित अवकाश नकदीकरण, नई पेंशन योजना (NPS) के अन्तर्गत नियोक्ता का अंशदान, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के शिक्षकों का वेतन बकाया, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के ग्रेड पे की बकाया राशि ए॰सी॰पी॰/एम॰ए॰सी॰पी॰ वेतनांतर तथा Outsourcing के आधार पर नियुक्ति शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन तथा बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के ज्ञाप सं 15/एम–1–197/2014–1457 दिनांक 24.07.2015 के द्वारा सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से नामांकन के समय शुल्क नहीं लिये जाने के कारण क्षति होने वाले राशि की भरपाई के लिए भी प्रस्तावित बजट में कुल रुपये 314.28 करोड़ की राशि का

प्रावधान किया गया है।

(4) पुनः वित्तीय वर्ष 2022–23 के Schedule - C के अन्तर्गत अप्रैल, 2017 से मार्च, 2019 के बीच सेवानिवृत हुए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान, उपार्जित अवकाश–नकदीकरण एवं चिकित्सा भत्ता की अंतर राशि तथा बी.सी.ई. के 1.4.2014 से 29.2.2020 तक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन/चिकित्सा भत्ता की अंतर राशि 44.39 करोड़ एवं बी.सी.ई. के शिक्षेत्तर कर्मचारियों के ए॰सी॰पी॰ 9.8.1999 से 27.1.2004 तक के बकाया राशि 14.86 लाख रूपये सहित कुल 57.92 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

(5) वित्तीय वर्ष 2022–23 में पटना विश्वविद्यालय द्वारा Internal Quality Assurance Cell (IQAC) के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के प्रशिक्षण एवं कार्येत्तर गतिविधियों, रिसर्च स्कॉलर हेतु अनुदान, विज्ञान लैब हेतु उपकरण क्रय, पुस्तकालय स्वचालन एवं प्रबंधनप्रणाली, वर्कशॉप, सेमिनार, दिव्यांग छात्रों/व्यक्तियों को मौलिक सुविधा, पुस्तक क्रय, इ–जर्नल तथा कोरोना महामारी से बचाव इत्यादि हेतु 46.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

विश्वविद्यालय के Placement Cell को गति प्रदान करने हेतु इस बजट में 1.05 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के मुख्यालय, पुस्तकालय एवं दरभंगा हाउस में Lift/Escalator निमार्ण कार्य, दरभंगा हाउस, पटना कॉलेज, पटना सॉयंस कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज तथा पटना ट्रेनिंग कॉलेज में जल सुविधा/स्वच्छता, सैदपुर परिसर का सौंदर्यीकरण/बाग़वानी, सम्पूर्ण पटना विश्वविद्यालय परिसर में 2 GBPS Bandwidth, पटना कॉलेज एवं पटना सायंस कॉलेज के मैदानों का नवीकरण इत्यादि हेतु 32.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(6) ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के पत्रांक एफ0/08–01/201 दिनांक 28.01.2004 के आलोक में, बिहार सरकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर, पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय को एन. आई. टी. पटना का दर्जा प्रदान किया गया परिणामस्वरूप, दिनांक 29.01.2004 के पश्चात् तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग (NIT) के कर्मियों के वेतनादि/पेंशनादि सहित अन्य सम्पूर्ण व्ययभार भारत सरकार वहन करती है, किन्तु तत्कालीन बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय के उत्क्रमण की तिथि दिनांक 29.01.2004 के पूर्व सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभ एवं वेतनान्तर का दायित्व बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पर है। इन लोगों के सेवांत लाभ एवं वेतनान्तर के मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित बजट में 8.78 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रस्तावित बजट में 8.84 करोड़ रूपये व्यय का प्रावाधन किया गया है ।

(7) इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित बजट में आकस्मिक व्यय के मद में पुस्तकालय व्यय, प्रयोगशाला व्यय, छात्रों के क्रियाकलापों आदि का भी विशेष ध्यान रखा गया है ।

(8) राज्य सरकार ने विभागीय पत्राांक 2085 दिनांक 09.12.1999 के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 1998–99 के बजट अनुदान स्वीकृति के क्रम में यह व्यवस्था दी है कि आगे से विश्वविद्यालय अपने

आन्तरिक स्त्रोतों की आय से ही अपने सभी प्रकार के आकस्मिक व्ययों (Contingent Expenses/ Contingencies) की प्रति–पूर्ति करेगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देश के आलोक में स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व–वित्तपोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आन्तरिक स्रोतों के प्राप्त आय से उनके आकस्मिक व्ययों के लिए प्रस्तावित बजट 2022–23 में व्यय का प्रावधान किया गया है ।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित बजट 2022–23 के Schedule-B के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों की राशि 12.24 करोड़ रूपये तथा विकास मद सहित कुल 113.76 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का प्रावधान किया गया है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय को विभिन्न आंतरिक स्रोतों से कुल 35.77 करोड़ रूपये आय प्राप्ति का अनुमान है।

(9) स्नातकोत्तर विभागों, कॉलेजों, संस्थानों एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनेक स्ववित्तपोषित / व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational / Self Financing Courses) चलाए जा रहे हैं जिनपर वित्तीय वर्ष 2020–21 में वास्तविक व्यय 9.03 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2021–22 प्राक्कन में व्यय 17.20 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2021–22 पुनरीक्षित व्यय पर रूपये 11.57 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में रूपये 12.52 करोड़ व्यय के प्रस्ताव के विरूद्ध वर्ष 2020–21 में वास्तविक आय रूपये 12.15 करोड़, वर्ष 2021–22 में प्राक्किलत आय 15.54 करोड रूपये, वित्तीय वर्ष 2021–22 पुनरीक्षित में रूपये 15.04 करोड़ आय तथा वर्ष 2022–23 के प्रस्तावित बजट में रूपये 15.40 करोड़ आय प्राप्त होने की संभावना है । इसे प्रस्तुत बजट के अन्दर अलग से दर्शाया गया है।

इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन–व्यय के पश्चात् शेष राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों, विकास कार्यों एवं लम्बित व्ययों आदि पर किया जाता है।

खण्ड–II अनावर्त्तक / पूँजी एवं विकास मद (Non-Recurring/ Capital and Development):

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समय–समय पर पंचवर्षीय योजनाओं तथा विशेष अनुदान के साथ–साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार से विकास सम्बन्धी प्राप्त अनुदानों के आय–व्यय का उल्लेख प्रस्तुत बजट के खण्ड–II अनावर्तक / पूंजी एवं विकास मद (Non-recurring/ Capital and Development) शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त यू.जी.सी. एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त विविध शोध–परियोजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान के आय–व्यय का व्यौरा भी इसी खण्ड में दर्शाया गया है।

(A) यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्श 2021–22 एवं 2022–23 में विभिन्न निर्माण कार्य विश्वविद्यालय में आरंभ होने की संभावना है। जिसकी विवरणी निम्वतः है।

(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Construction of Population Research Centre, Patna University, Patna के निर्माण कार्य हेतु 8.55 करोड़ के राशि का Detailed Project Report तैयार कर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को अग्रेत्तर कार्यवाई हेतु भेजा जा चुका है एवं भारत सरकार द्वारा Draft MOU विधि विभाग से विधिक प्रामर्श प्राप्त कर भेजा जा चुका है ।

(ii) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक –29–70 / MYAS/MDSD/2019, दिनांक 18.12.2020 द्वारा बिहार राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में खेल अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के माध्यम से कराया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत Construction of Multi-purpose Hall at Saidpur campus, Patna University हेतु 4.5 करोड़ एवं Construction of Swimming Pool at Saidpur Campus, Patna University के निमार्ण कार्य हेतु 5.00 करोड़ राशि स्वीकृत किया गया है।

(iii) पटना विश्वविद्यालय, पटना अंतर्गत व्हीलर सिनेट हॉल के जीर्णोधार कार्य हेतु राशि 2.84 करोड़ का तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्राक्कलन तैयार कर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अग्रेत्तर कार्यवाई हेतु को भेजा जा चुका है।

(iv) पटना विश्वविद्यालय, पटना अंतर्गत नये Construction of Administrative Block (G+9) at Patna University, Patna के निर्माण कार्य हेतु राशि 57.83 करोड़ का तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्राक्कलन तैयार कर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अग्रेत्तर कार्यवाई हेतु को भेजा जा चुका है।

(v) पटना विश्वविद्यालय, पटना अंतर्गत नये Construction of Academic Block (G+12) at Patna University, Patna के निर्माण कार्य हेतु राशि 89.45 करोड़ का तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्राक्कलन तैयार कर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अग्रेत्तर कार्यवाई हेतु को भेजा जा चुका है।

(vi) विश्वविद्यालय, पटना अंतर्गत Construction of Staff Quarter (For Teaching Staff) (3BHK) (G+7) at Patna University, Patna के निर्माण कार्य हेतु राशि 13.86 करोड़ का तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्राक्कलन तैयार कर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अग्रेत्तर कार्यवाई हेतु को भेजा जा चुका है।

(vii) पटना विश्वविद्यालय, पटना अंतर्गत Construction of Staff Quarter (For Non-Teaching Staff) (2BHK) (G+7) at Patna University, Patna के निर्माण कार्य हेतु राशि 11.57 करोड़ का तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्राक्कलन तैयार कर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अग्रेत्तर कार्यवाई हेतु को भेजा जा चुका है।

(B) राज्य सरकार से अनावर्तक (विकास) मद में वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त राशि की विवरणी :–

PATNA UNIVERSITY, PATNA

Additional Non recurring (Development) Grant received from State Governemnt during the financial year 2019-20

Sl.No	Particulars	Amount received	Amount spent till date	Available balance
1	Boundary wall of Patna Sceince College, Patna	5566439.00	0.00	5566439.00
2	Development of Lab for 6 subject in colleges	3000000.00	999259.00	2000741.00
3	Eklavya	1250000.00	0.00	1250000.00
4	Tarang	1250000.00	0.00	1250000.00
5	Construction of Golakhpur Boundary wall, NAAC accreditation, Centenary Celeberation of P.U. Central Library.	50000000.00	15958133.00	34041867.00
6	Language Lab/Computer Centre renovation of lab/Solar Light at Patna Sceince College	2500000.00	2461266.00	38734.00
7	Miscellaneous work for Vocational Course Building at Patna Sceince college	9059000.00	45360.00	9013640.00
8	Modification of University & College Library	2500000.00	0.00	2500000.00
9	Painting & Roof treatment at Patna Sceince College	2560100.00	2303160.00	256940.00
10	Reinforcement of Internal Road of P.U.	6749510.00	6749510.00	0.00
11	Repair & renovation of V.C. Chamber at P.U.	5037000.00	2021545.00	3015455.00
12	University Management Information System (UMIS)	1000000.00	1000000.00	0.00
	Total	**90472049.00**	**31538233.00**	**58933816.00**

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022–23 में नये विकास कार्यों का प्रस्ताव एवं राज्य सरकार के विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव भी इसी खण्ड में प्रस्तावित है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः–

(C) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से XII पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राशि 12.53 करोड़ रूपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 तक विश्वविद्यालय को General Development Assistance Scheme के तहत् कुल रूपये 5.01 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। साथ ही इस बजट में Renovation of Building and Campus Development के मद में 100.00 लाख रुपये तथा Construction of Quarter's मद में 200.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

(D) Seminar/ Workshop के मद में 50 लाख मात्र एवं Travel Grant for Attending National and International Seminar /Workshop के लिए 50 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है।

(E) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसंशित Research Promotion के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 में 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(F) विश्वविद्यालय द्वारा बजट में Publication of Books & Journal के मद में 50 लाख एवं Books & Journal purchase हेतु 50 लाख प्रावधान किया गया है ।

(G) XII पंचवर्षीय योजना Merged Scheme के तहत बजट में Conferences/ Seminars/ Symposia/ Workshops के लिए 40 लाख, facility for differently abled persons के लिए 05 लाख, Publication Grant केलिए 3.00 लाख एवं Travel Grant के लिए 01 लाख मात्र का प्रावधान किया गया है।

(H) शिक्षा विभाग के पत्रांक 1906 दिनांक 23.10.2013 के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत संस्थागत विकास के लिए पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए कुल 1516.845 करोड़ अर्थात् 303.369 करोड़ वार्षिक योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। पत्रांक SHEC/AC/FT-15/2016-55 दिनांक 22.5.2020 द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजनार्न्तगत आधारभूत संरचना विकास हेतु पटना विश्वविद्यालय को कुल स्वीकृत राशि 20 करोड़ मे से प्रथम किस्त के रूप में 10 करोड़ रू उपलब्ध हो चुकी है। पत्रांक में वर्णित दिशा–निर्देश के आलोक में निदेशानुसार प्राप्त राशि में से 7.78 करोड़ रू बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को पटना विश्वविद्यालय के असैनिक निर्माण कार्य हेतु राशि हस्तगत कराया जा चुका है। जिससे कुछ शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आवास की मरम्मती का कार्य कराया जा चुका है तथा शेश निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। शेष राशि में से 32,78,816/– रूपये विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार समाग्रियों के क्रय पर व्यय किया जा चुका है तथा शेष राशि का कार्य की संचिका प्रक्रियाधीन है।

(I) प्रधान महालेखाकार बिहार, पटना के अंकेक्षक दल द्वारा पटना विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2017–18 तक का अंकेक्षण सम्पादित किया जा चुका है।

(J) आंतरिक अंकेक्षक मेसर्स राजीव आर०, मिश्रा एण्ड चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, पटना द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखों का आन्तरिक अंकेक्षण कराया जा चुका है तथा 2018–19 से 2020–2021 लेखों का आन्तरिक अंकेक्षण कार्य अंतिम चरण में है।

इन्हीं शब्दों के साथ वित्तीय वर्ष 2020–21 का वार्षिक आय–व्यय, वर्ष 2021–22 का पुनरीक्षित आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 का प्रस्तावित आय–व्ययक प्राक्कलन सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

❖❖❖

ABSTRACT OF

PART– I

REVENUE BUDGET ESTIMATES

OF

RECEIPTS AND PAYMENT

FOR THE YEAR

2021–22

PATNA UNIVERSITY

ABSTRACT OF PART- I

REVENUE BUDGET OF RECEIPTS AND PAYMENTS

FOR THE YEAR 2022-23

Sl. No.		Particulars	Actual for 2020-21	Budget Estimates for 2021-22	Revised Estimates for 2021-22	Budget Estimates for 2022-23	Remarks
		RECURRING PAYMENTS					
(A)		**Higher Education :-**					
1	i	Pay & Allowances (Schedule -A)	1,056,676,604	1,130,222,288	1,156,362,525	1,094,286,489	**Total A to G of Schedule- A** Rs. 6,27,000,00/- pay of Guest faculty for 2020-23 including in pay & allowances
	ii	Provision for Honorarium Payment to Teachers Special Class (Per hour) (Schedule-A)	-	150,000	-	-	Part I of Schedule- A
	iii	Outsourcing for the Vacant posts against Grade III & Grade IV Staff (Computer Operators/Security etc.) (Schedule-A)	36,616,718	66,000,000	66,000,000	70,000,000	Part H (i) of Schedule- A
		Provision for re-employment of Non-Teaching retired employees	82,500	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Part H (ii) of Schedule- A
	iv	Retiral Benefits-Pension, Gratuity and Leave Encashment (Schedule-A)	1,235,951,426	1,245,394,242	1,188,775,371	1,289,539,342	Total of J (i&ii) Schedule- A
	v	Provision for arrear Salary Payment of Teaching/Non Teaching, for NPS & ACP/MACP , Girls/ ST/SC Tuition fees (Schedule-A)	725,117	415,981,323	629,770,664	654,773,480	Total K (I to ix) of Schedule- A
		TOTAL (i to v) Rs.	**2,330,052,365**	**2,861,347,853**	**3,044,508,560**	**3,112,199,311**	
	vi	Contingent/ Development Expenses of University, Allied Units, P.G. Deptt. Colleges & IQAC/Placement Cell /Building Constructions and repairing works etc.	90,703,605	1,642,209,584	1,087,574,105	1,137,609,679	Total Part K of Schedule -B+University & College Contigency Grant Total (4 to 8)
		TOTAL (i to vi) Rs.	**2,420,755,970**	**4,503,557,437**	**4,132,082,665**	**4,249,808,990**	
	vii	a. Post Retiral Dues (Schedule- C)	-	490,723,173	490,723,173	490,723,173	Schedule C Total (1 to 3)
		b. Outstanding Dues (Schedule- D)	-	576,049,750	598,490,821	621,263,472	Schedule D Total (1 to 16)
		TOTAL (a & b) Rs.	**0**	**1,066,772,923**	**1,089,213,994**	**1,111,986,645**	
		GRAND TOTAL (i to vii) Rs.	**2,420,755,970**	**5,570,330,360**	**5,221,296,659**	**5,361,795,635**	
(B)							
	i	Post Retiral Dues (Schedule-C) DST/BCE	40,154,386	44,173,560	42,008,644	42,560,232	Total Schedule -C (B.C.E.)
	ii	Outstanding Dues (Schedule -C) DST/BCE	-	-	45,884,716	45,884,716	Total Schedule -C B (i) DST/BCE
		TOTAL B (i to ii) Rs.	**40,154,386**	**44,173,560**	**87,893,360**	**88,444,948**	
(C)		**Directorate of Distance Education - D.D.E. :-**					
	i	Pay & Allowances and Retiral Benefit, DDE (Schedule -A)	22,419,741	46,006,374	32,082,936	30,623,165	Schedule-A of L
	ii	Contingencies & Provisions, DDE (Schedule-B)	1,484,319	7,318,000	8,360,155	9,390,000	Schedule-B of L
		TOTAL C (i & ii) Rs.	**23,904,060**	**53,324,374**	**40,443,091**	**40,013,165**	
(D)		**VOCATIONAL/SELF-FINANCING COURSES-P.G. & U.G. :-**					
		Vocational Course (P.G. & U.G) (Schedule-B)	90,323,298	172,031,699	115,727,092	125,227,851	Schedule-B of N
		TOTAL (D) Rs.	**90,323,298**	**172,031,699**	**115,727,092**	**125,227,851**	-

(E)	**SUB-DETAIL OF PAYMENTS (A to D) :-**					
(A)	Higher Education	2,420,755,970	5,570,330,360	5,221,296,659	5,361,795,635	
(B)	Department of Science & Technology - B.C.E.	40,154,386	44,173,560	87,893,360	88,444,948	
(C)	Directorate of Distance Education - D.D.E.	23,904,060	53,324,374	40,443,091	40,013,165	
(D)	Vocational/ Self-financing Courses (PG/UG)	90,323,298	172,031,699	115,727,092	125,227,851	
	TOTAL (A to D) Rs.	**2,575,137,714**	**5,839,859,993**	**5,465,360,202**	**5,615,481,599**	
	SUB-DETAILS OF RECEIPTS (SCHEDULE-E)					
(F)	**LESS INCOME (RECURRING RECEIPTS)**					
(a)	Higher Educational- Receipts of University, Allied Units, PG Deptt. & Colleges	101,783,581	163,338,055	132,571,310	141,770,415	Total Schedule-E (B to K)
(b)	Department of Science & Technology- BCE	44,887,288	44,173,560	42,008,644	42,560,232	Total Schedule-E (N)
(c)	Directorate of Distance Education -DDE	5,634,520	25,400,000	25,400,000	19,300,000	Total Schedule-E (L)
(d)	Vocational/Self-financing Courses (PG/UG)	121,490,179	155,487,493	150,384,667	154,075,915	Total Schedule-E (M)
	TOTAL (a to d) Rs.	**273,795,568**	**388,399,108**	**350,364,621**	**357,706,562**	
(G)	**SUB-DETAIL OF DEFICITS**					
	FINAL TOTAL DEFICITS					
(a)	Higher Education Department	**-2,318,972,389**	**-5,406,992,305**	**-5,088,725,349**	**-5,220,025,220**	* Deficit Grants to be claimed from State Govt.
(b)	Department of Science & Technology- BCE/DST	**4,732,902**	**-**	**-45,884,716**	**-45,884,716**	
(c)	Directorate of Distance Education -DDE	**-18,269,540**	**-27,924,374**	**-15,043,091**	**-20,713,165**	
(D)	Vocational/Self-financing Courses (PG/UG)	**31,166,881**	**-16,544,206**	**34,657,575**	**28,848,064**	
	TOTAL (A to D) Rs.	**-2,301,342,146**	**-5,451,460,885**	**-5,114,995,581**	**-5,257,775,037**	

The Budgetary provision against vacant posts have been made with proposal of outsourcing of the Technical & Non-Technical personnel urgently required vide HRD Letter No.-2124, Dated-02.09.2011. However, University is not in a position to bear the expenditure out of its own.

Sri Manoj Kumar Pandey	**Sayed Mozaffar Hussain**	**Col Kamesh Kumar**	**Sri Parma Nand Chaudhary**
Budget & Accounts Officer	Finance Officer	Registrar	**Financial Advisor**
Patna University	Patna University	Patna University	Patna University